सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 28 फाल्गुन, 1946 (श०) / 19 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) पथ निर्माण विभाग	..	..	01
(2) पंचायती राज विभाग	..	..	01
(3) लघु जल संसाधन विभाग	..	..	01
		कुल योग --	03

सड़क जाम से मुक्ति

12. <u>श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)</u>--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जनवरी, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहटा में फिर लगा 10 किलो मीटर लम्बा जाम, 5 घंटे तक फंसी रही गाड़ियाँ'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिहटा में विगत 2 वर्षों से प्रशासनिक लापरवाही के कारण बालू लदे ट्रक और छोटे एवं बड़े वाहन के ओवर टेक के कारण प्राय: 10 किलो मीटर तक जाम लगा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर जाम के कारण स्कूल के बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, कर्मचारीगण समय पर कार्यालय नहीं पहुँच पाते हैं और रोगी समय पर अस्तपाल नहीं पहुँचने के कारण एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहटा में जाम से मुक्ति हेतु कौन-सा कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल, बिहटा में जाम से मुक्ति हेतु निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं :--

1. विशुनपुरा बाईपास का निर्माण युद्ध स्तर से किया जा रहा है तथा RHS Carriageway एवं LHS Carriageway का कार्य 30 मार्च, 2025 तक पूरा कर दिया जायेगा ।

2. बिहटा चौराहा पर चौड़ीकरण का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है, जिससे यातायात में सुगमता आई है ।

3. बिहटा चौराहा से परेव के बीच का 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, यद्यपि उक्त पथांश में ट्रैफ़िक का परिचालन सामान्य बनाये रखने हेतु जगह-जगह पर सर्विस रोड का निर्माण तथा Crash Barrier लगाकर Existing Carriageway को बाँटा गया है ।

4. साथ ही साथ विशुनपुरा से परेव तक के क्षेत्र में जहाँ भी कार्य प्रगति पर है वहाँ डायभर्सन की उचित व्यवस्था की गई है एवं सूचना बोर्ड का प्रावधान भी IRC मानक के अनुरूप किया गया है ।

5. बिहटा चौक पर अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया है ।

6. दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत मनभावन चौक पर Grade Seperator Flyover के निर्माण हेतु DPR Consultant का चयन प्रक्रियाधीन है ।

7. दानापुर-बिहटा एलिवेटेड पथ का निर्माण कार्य के अन्तर्गत बिहटा चौक पर ऐलिवेटेड पथ एवं तीन तरफ Supplimentary Road का निर्माण होना है ।

इसके अतिरिक्त बिहटा चौक पर लगने वाले जाम को दूर करने हेतु सरकार के स्तर से नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है । इसी क्रम में वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित करने हेतु नगहर (NH-139) से कैनाल बैंक होते हुये बिहटा चौक के पास NH-922 को जोड़ने वाली पथांश का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है । तदोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अधिकार प्रदान करना

13. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (नवीनगर)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के आलोक में राज्य में जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत 2 वर्षों से राज्य के ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों द्वारा जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने पर रोक लगा दिया गया है, जिससे ग्रामीण जनता को काफी परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को फिर से जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ

14. श्री देवेश कान्त सिंह (गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सात निश्चय-2 ''हरखेत तक सिंचाई का पानी'' के अन्तर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिये ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों जैसे आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र एवं भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र आदि लगता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक किसानों के परिवारों के पूर्वजों के नाम पर ही जमाबंदी वर्तमान में चल रही है, जिसके कारण राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक किसान मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ लेने से वंचित रह जा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ राज्य के सभी किसानों को देने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 19 मार्च, 2025 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025